

मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक: 19/02/2008.

क्रमांक एफ-8-78/06/अ-ग्यारह- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-78-2006-अ-ग्यारह दिनांक 29 सितम्बर, 2006 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 में, प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु सम्बंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यरत प्रबंधक उसमें (जिले में) सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए आशयित किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए इन्टरप्रेन्योर मेमोरेंडम (भाग-1) को, जो भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1843 (ड.) दिनांक 30 सितम्बर, 2006 में विनिर्दिष्ट है अभिसूचित करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
सथा आदेशानुसार

(टी.सी. लोहनी)

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक : 19/02/2008

पृ.क्र.एफ 8-78/2007/अ-ग्यारह
प्रतिलिपि-

1. उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल
2. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरिस्त हिन्स भोपाल की ओर हिन्दी एवं अंग्रेजी की अधिसूचना संलग्न कर आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त अधिसूचना असाधारण म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
5. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

389

4

Government of Madhya Pradesh
Commerce, Industry & Employment Department
Mantralay, Vallabh Bhawan, Bhopal

Bhopal, Dated February, 2008.

NOTIFICATION


No F 6-78/2006/A-11 In exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006) , the State Government, hereby ,makes the following amendment in this Department's Notification No. F-6-78-2006-A-XI dated 29 September ,2006, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 3rd October, 2006, namely:-

Amendment

In the said Notification, the following proviso shall be added ,namely:-

“ Provided that , a Manager functioning in the District Trade and Industries Centre of the district concerned, shall also be authorized to acknowledge Entrepreneur Memorandum(Part I) , as specified in the Government of India's Notification No. S.O. 1643(E) dated 30th September , 2006 filed by any person intending to establish a micro enterprise therein.”

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh


18.2.08

(T. C. Lohani)

Additional secretary

Government of Madhya Pradesh

Commerce, Industry & Employment Department